फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

अर्जुन बनाम गिरधारी वगै० वगै

मुकदमा नम्बर :– 14/ 2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	6/6/24	पत्रावली उपस्थित साक्ष्य वादी हेतु आगामी में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 01/07/24 को पेश हो। Sd/-	
	01/7/24	प. वादी अनु. साक्ष्य वादी हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश नहीं करने की स्थिति में पत्रावली साक्ष्य के अभाव में स्वतः खारिज समझी जावेगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक: 10/7/24 को पेश हो। Sd/-	
	10/7/24	प. वादी अनु. अधिवक्ता वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में निर्णय के खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली के साथ [illegible] होकर [illegible] हो तथा इन्द्राज उपरान्त नतीजा दफ्तर [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–14/2020

उनवान

अर्जुन पुत्र भूदा, जाति माली, निवासी खारिया बाढ, लेसवाली ढाणी, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. गिरधारी पुत्र हनुमान
2. केसरी देवी पत्नी गिरधारीलाल
3. चावली देवी पत्नी बालू
4. जगदीश पुत्र भूदा
5. ज्याना देवी पत्नी रामावतार
6. नाथी पत्नी मदनलाल
7. नाना देवी पत्नी बालू
8. नारायणलाल पुत्र रामदेव
9. नारायणी देवी पत्नी मालीराम
10. पूरण पुत्र भैरु
11. बिरदा पुत्र भूदा
12. मदनलाल पुत्र हनुमान
13. मन्नी देवी पत्नी बालू
14. मालीराम पुत्र मंगला
15. मोहन पुत्र भैरु
16. रामावतार पुत्र हनुमान
17. शोभाराम पुत्र रामदेव
18. सन्तोष देवी पुत्री बालू
19. सिणगारी पुत्री बालू
20. सीताराम पुत्र रुडाराम
21. सोहनलाल पुत्र रुडाराम
22. सुगल्या पुत्र सुराराम
23. सुवा पुत्र सुराराम
24. सुन्दरी पत्नी सुराराम
25. सन्तोष पुत्री सुराराम
26. नाना पुत्री सुराराम
27. चौथी पुत्री सुराराम
28. प्रेम पुत्री सुराराम
29. बाबूलाल पुत्र मालीराम
30. तेजपाल पुत्र नारायण
31. रामसहाय पुत्र मोहन
    समस्त जाति माली, निवासीयान खारिया बाढ, लेसवाली ढाणी, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
32. तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
33. उप तहसीलदार, उप तहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
34. उप–पंजियक, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
35. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं, जरिये मैनेजर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

36. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खेजरोली जरिये मैनेजर।
37. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेजरोली जरिये मैनेजर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमस व स्थायी निषैधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 10.07.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 465 पुराना 430 के खसरा नम्बर 3720 रकबा 0.20 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3721 रकबा 0.20 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3722 रकबा 0.24 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3732 रकबा 0.54 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3733 रकबा 0.59 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3734 रकबा 0.02 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3735 रकबा 0.01 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3736 रकबा 0.60 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3752/8953 रकबा 0.08 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3767 रकबा 0.04 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3768 रकबा 0.24 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3806 रकबा 0.31 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3807 रकबा 0.58 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 3811 रकबा 0.33 हैक्टैयर कुल किता 14 का कुल रकबा 3.98 हैक्टेयर भूमि में वादी 1/18 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार हैं, तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 का निहित हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 29 ता 31 उक्त भूमियों के पडौसी खातेदार काश्तकार हैं, उक्त भूमियां ही इस वाद में विवादग्रस्त है। भूमि विवादग्रस्त पर वादी व शेष हिस्सेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 जिनका नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं व प्रतिवादीगण संख्या 22 ता 28 जो कि खातेदार सुराराम पुत्र रुडाराम के वारिसान है, जिन्हे सुराराम की मृत्यु हो हाने पर फौती नामान्तकरण नहीं खुलवाने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं, अपने–अपने हिस्से अनुसार शामलाती रुप से मनबंट बांटकर काबिज काश्त होकर भूमि विवादग्रस्त को काम में लेते आ रहे हैं, व कोई हिस्सेदार/खातेदार व पडौसी प्रतिवादीगण संख्या 29 ता 31 द्वारा किसी को रुकावट नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी वादी ने प्रतिवदीगण संख्या 1 ता 28 को भूमि विवादग्रस्त का विधिवत तकासमा करवाने हेतु कई बार कहां लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 वादी को तकासमा जल्द करवाने बाबत् आश्वासन देते रहे, लेकिन दिनांक 08.01.2020 को वादी ने जब पुनः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 को भूमि विवादग्रस्त का विधिवत तकासमा करवाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 ने प्रतिवादीगण संख्या 29 ता 31 से मिलकर भूमि विवादग्रस्त का विधिवत तकासमा करवाने से इंकार कर दिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 ने प्रतिवादीगण संख्या 29 ता 34 से मिलकर वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में दखल, रुकावट करने, वादी को जबरन बेदखल करने की कोशिश की व धमकी दी एवं भूमि विवादग्रस्त को बिना तकासमा के बेचान,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हस्तान्तरण करने, रहन, गिरवी रखने भू रुपान्तरण के बिना ही आवासीय व वाणिज्य प्रयोजनार्थ भूमि विवादग्रस्त को काम में लेने, भूमि विवादग्रस्त पर मोरम व सडक बिछाने रोड निकालने व निर्माण करने की धमकी दी। जिस कारण यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर भूमि विवादग्रस्त का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस व अच्छी बुरी के आधार पर तकासमा किया जाकर वादी के हिस्से का पर्चा लगान पृथक से कायम किया जावें। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 प्रतिवादीगण संख्या 29 ता 34 से मिलकर वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में दखल, रुकावट नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, भूमि विवादग्रस्त को बिना तकासमा के बेचान नहीं, हस्तान्तरण नहीं करें, रहन, गिरवी नहीं रखें, भू–रुपान्तरण के बिना ही आवासीय व वाणिज्य प्रयोजनार्थ भूमि विवादग्रस्त को काम में नहीं लेवे, भूमि विवादग्रस्त पर मोरम नहीं डाले व सडक बिछावे रोड नहीं निकाले, प्रतिवादी संख्या 32 व 33 भूमि विवादग्रस्त के राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति में श्रीमान् के आदेश के बिना कोई परिवर्तन, परिवर्धन नहीं करे व प्रतिवादी संख्या 34 भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में किसी दस्तावेज को प्राप्त नहीं करें, ना ही पंजीकृत करें। उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 34 न तो स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवाये व तकासमा पश्चात् वादी के हिस्से के सम्बन्ध में उक्त कृत्य प्रतिवादीगण नहीं करें, ना ही करवाये

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7, 9 ता 11, 13 ता 20, 22 ता 25, 27 ता 37 बावजूद तामिल अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अधिवक्ता वादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजान का अवलोकन किया। वादी का वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है। वादी को अपना वाद साबित करने की सम्पुर्ण जिमेदारी वादी की ही होती है। प्रकरण का निर्धारण वादी के साक्ष्य अभिलिखित करवाने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर किया जाना होता है। लेकिन वादी द्वारा प्रकरण को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है ना ही कोई दस्तावेज पेश किया गया है जिससे वादी का वाद साबित होता है। ऐसे में वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

अर्जुन पुत्र भूदा, जाति माली, निवासी खारिया बाढ, लेसवाली ढाणी, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. गिरधारी पुत्र हनुमान
2. केसरी देवी पत्नी गिरधारीलाल
3. चावली देवी पत्नी बालू
4. जगदीश पुत्र भूदा
5. ज्याना देवी पत्नी रामावतार
6. नाथी पत्नी मदनलाल
7. नाना देवी पत्नी बालू
8. नारायणलाल पुत्र रामदेव
9. नारायणी देवी पत्नी मालीराम
10. पूरण पुत्र भैरु
11. बिरदा पुत्र भूदा
12. मदनलाल पुत्र हनुमान
13. मन्नी देवी पत्नी बालू
14. मालीराम पुत्र मंगला
15. मोहन पुत्र भैरु
16. रामावतार पुत्र हनुमान
17. शोभाराम पुत्र रामदेव
18. सन्तोष देवी पुत्री बालू
19. सिणगारी पुत्री बालू
20. सीताराम पुत्र रुडाराम
21. सोहनलाल पुत्र रुडाराम
22. सुगल्या पुत्र सुराराम
23. सुवा पुत्र सुराराम
24. सुन्दरी पत्नी सुराराम
25. सन्तोष पुत्री सुराराम
26. नाना पुत्री सुराराम
27. चौथी पुत्री सुराराम
28. प्रेम पुत्री सुराराम
29. बाबूलाल पुत्र मालीराम
30. तेजपाल पुत्र नारायण
31. रामसहाय पुत्र मोहन

समस्त जाति माली, निवासीयान खरिया बाढ, लेसवाली ढाणी, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

32. तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

33. उप तहसीलदार, उप तहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
34. उप–पंजियक, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
35. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं, जरिये मैनेजर।
36. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खेजरोली जरिये मैनेजर।
37. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेजरोली जरिये मैनेजर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषैधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0 टि0 एक्ट

मुकदमा नं0:–14/2020 निर्णय दिनांकः– 10.07.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.07.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4......रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner